न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 68 / 2025
निर्णय दिनांक :– 16.05.2025
पीठसीन अधिकारी :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामजीवण पुत्र जगदीश जाति जाट आयु 85 वर्ष निवासी ग्राम बुकनी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सुवालाल जाति जाट आयु बालिग निवासी ग्राम बुकनी तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
2. श्रवण पुत्र सुवालाल जाति जाट आयु बालिग निवासी ग्राम बुकनी तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री विनय कुमार जैन वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 16.05.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. आराजी खसरा नं. 205/1 रकबा 0.6323 है० भूमि वाके ग्राम बुकनी पटवार हल्का सवाईजयसिंहपुरा भू. अभि. नि. क्षेत्र मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार हैं। 2. यह कि उक्त आराजी प्रार्थी की आराजी है जिस पर प्रार्थी शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी की आराजी है जिसका अप्रार्थी सं. 1 लगा० 2 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वे प्रार्थी की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। प्रार्थी अकेला एवं सीधा सादा व्यक्ति है एवं कानून में अपना पूर्ण विश्वास रखता है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 लगा० 2 संख्याबल एवं भुजबल में अधिक हैं। जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिसका

लगायत..............2

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

उद्देश्य डरा धमकाकर जमीनें ऐंठना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतू अप्रार्थी सं. 1 लगा० 2 प्रार्थी से आये दिन लडाई झगडा कर प्रार्थी को हेरान परेशान करते रहते है। कुछ समय पूर्व जब प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की देखभाल करने विवादग्रस्त आराजी आया तो अप्रार्थी सं. 1 लगा० 2 एवं कुछ अन्य व्यक्ति एक राय होकर प्रार्थी की आराजी पर आये एवं प्रार्थी के कब्जे की आराजी पर अतिक्रमण करने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार फागी के यहां आवेदन कर उक्त भूमि का दिनांक 21.06.2024 को अप्रार्थी सं. 1 लगा० 2 की उपस्थिति में सीमा ज्ञान भी करवा लिया, परन्तु फिर भी अप्रार्थी सं. 1 लगा० 2 ने विवाद करना नही छोडा। इसलिए प्रार्थी को अपने हक हकूकों की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी उक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। जब कि प्रार्थी की आराजी से अप्रार्थी सं. 1 लगा० 2 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु वह प्रार्थी को नाजायज हैरान–परेशान करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। 7. यह कि प्रार्थी सीधा सादा व्यक्ति है जो उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है एवं वह अपनी आराजी की सुरक्षा करना चाहता है। आराजी की पत्थरगढी होने से प्रार्थी की उक्त भूमि सुरक्षित हो जावेगी एवं अतिक्रमण होने का डर नही होगा। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। मुताबिक डिलीवरी रिपोर्ट अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की सम्यक तामिल होने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं हुए। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस एकतरफा विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम बुकनी के खाता सं0 111 के आराजी ख0नं0 205/1 में प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि उक्त आराजी का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2024 को करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

लगायत.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(3)

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 205 / 1 रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बुकनी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/5/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते